[Shri Y. B. Chavan]

I have nothing more to say. I think the House for the unanimous support that they have given to this Resolution.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is: —

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 23rd August, 1968 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Punjab."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : **Then** we go on to the Bihar Budget and the **Bihar** Appropriation Bill, 1968 to be taken up together. The time allotted is two hours. But if the House wants to extend the time they may extend it beyond 6 o'clock.

AN HON. MEMBER: It should be more.

THE DEPUTY CHAIRMAN. We are going to take up the two things together.

I. THE BIHAR BUDGET, 1968-69

II. THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1988

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): Madam, I beg to move: —

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1968-69, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question *was proposed.*

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): आदरणीय उपसभापति महोदया, बिहार का यह बजट बड़ा ही यूनीक है सर्वप्रथम जो संविद की सरकार थी उसने इस बजट को बनाया था और शोषित सरकार ने विधान सभा के सामने उसको प्रस्तुत किया था। शोषित शासन के गिर जाने के बाद फिर द्वितीय संविद की सरकार ने इसको प्रस्तुत किया और दुर्दैव से वह भी पारित नहीं हो सका और बाध्य होकर आज केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित होने के लिए यहां आया है। पता नहीं जो गतिविधियां कांग्रेस में चल रही हैं ऐसा न हो कि इस बिल को पारित करते करते केन्द्रीय सरकार का भी पतन हो जाय।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : स्वप्न में देखिये।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : आप जैसे मददगार जिन्दा रहें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कम से कम जब से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तब से कांग्रेस सरकार का एक मंत्री जरूर निकल गया है और इस तरह से इस विधेयक ने कुछ गड़बड़ी तो शुरू कर ही दी है। सुनने में आया है कि इस बिल के प्रभाव से कुछ लोग जल्दी प्रसित होने वाले हैं और पता नहीं वे कौन कौन हैं।

मैं जब इस बजट का अध्ययन कर रहा था तो एक चीज मेरे सामने आई और वह यह थी कि संविद सरकार में जो कृषि मंत्री थे श्री मिश्रा जी, उन्होंने अपने समय में वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया था और उसी व्यवस्था को केन्द्रीय सरकार कायम रखने जा रही है। जब मैं बजट का दूसरा रूप देखता हूं तो मुझे श्री मोरारजी की करामात नज़र आती है। बजट में जो घाटा दिखलाया गया था उसको उन्होंने पिछले सालों और इस साल के राजस्व से जो बकाया था उसको वसूल करके पूरा करना चाहा। मैं नहीं समझता हूं कि जहां पर आप कृषि के लिए मदद करना चाहते थे और अनुदान दिया करते थे, सुविधाएं देते थे, सबसिडी देते थे 25 प्रतिशत की, लघु सिंचाई और विद्युत में भी

सबसिडी दिया करते थे, लेकिन अब सरकार वहां के किसानों से बकाया वसूल करने जा रही है, जो कि उचित मालूम नहीं देता है। वहां पर अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी हुई है और उसके संबंध में उन्होंने पिछले दिनों हड़ताल भी की थी। अगर उन कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के संबंध में इस बजट में कोई व्यवस्था होती तो हम समझते कि वे कोई नई चीज बजट में लाये हैं। आज भले ही बिहार राष्ट्रपति शासन के मातहत आ गया है मगर यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां के अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर किया जाता क्योंकि केन्द्रीय सरकार के मातहत आज वहां का शासन चलाया जा रहा है। इस तरह से केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों और वहां के कर्मचारियों के बीच में भेदभाव का बर्ताव किया है जो कि उचित मालूम नहीं देता है। इस तरह से यह एक अलगाव का भाव दिखलाता है जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है। केन्द्र में रहने वाला चाहे कोई भी कर्मचारी क्यों न हो अगर उसको अधिक सुविधा दी जाती है और राज्य कर्मचारियों को उनके मुकाबले में कम सुविधा दी जाती है तो यह एक-तरह से भेदभाव की बात हुई। जिस प्रकार सरकार शहर के लोगों को सुविधा देती है, उस तरह से वह देहात के लोगों को सुविधा नहीं देती है। जिस तरह से शहरों में चकाचौंध करने वाली बिजली का प्रबन्ध किया जाता है उस तरह से देहातों में व्यवस्था नहीं की जाती है। आज देहातों में, बिहार के देहातों में सबसे ज्यादा जनता रहती है। उनकी हालत बहुत ही दयनीय है और सरकार वहां के लोगों को शहर के मुकाबले में उतनी सुविधा नहीं दे रही है जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिये।

आज हम शहरों में सब प्रकार की सुविधाएं देखते है लेकिन देहातों में इस तरह की सुविधा दृष्टिगोचर नहीं होती है। आज सबेरे अल्प सूचना के प्रश्न के सबंध में यह बात स्पष्ट हो गई कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो इस देश के दो बड़े प्रदेश हैं उनके साथ किस प्रकार से केन्द्रीय सरकार सौतेले रूप से व्यवहार कर रही है।

आप एक एक चीज को उठाकर देख लीजिये, कृषि, सिंचाई, विद्युत, नदी घाटी योजनाएं सहकारिता, सभी के संबंध में देख लीजिये, आपने अरबों रुपयों का बंटवारा सारे देश में किया हुआ है, वहां पर आपने इन प्रदेशों को कितना रुपया दिया। ऐसी कौनसी योजनाएं वहां पर लागू की गई हैं जिनसे ये प्रदेश अप टु दी मार्क आ गये हैं।

एक और विशेष बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिहार प्रदेश में गत वर्ष अकाल पड़ा था। केन्द्रीय सरकार के लिए यह उचित था कि वहां के लिए वह कोई योजनाबद्ध बजट तैयार करती जिससे भविष्य में अकाल की स्थिति न आने पावे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बहुत ज्यादा पोटन्शियल है। खेती के लायक वहां जमीन प्राप्त है और उस जमीन में बहुत सी नदियां बहती हैं मगर उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां के भूगर्भ में पानी है और आज इस स्पुटनिक ऐज में वहां के किसानों को आकाश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अगर पाताल से पानी उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। वहां पर काफी पानी है और वहां के सरफेस में पानी बह रहा है मगर उसका ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फिर आश्चर्य होता है कि बिहार जैसे प्रदेश में अकाल पड़ता है जिसके भूगर्भ में तरह तरह के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। जिस प्रदेश में इतने खानों के भंडार पड़े हैं आज वहां की जनता बेकार और बेरोजगार पड़ी हुई है। आज वहां पर

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

ऐसे लोग बेकार हैं कि जो इंजीनियर हैं और आज बिहार के इंजीनियर एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में बेकार हैं। ऐसा लगता है कि वहां एक विडंबना है या वहां के कांग्रेस प्रशासन का यह दोष है कि जो आज वहां प्रकट हो रहा है, वहां दिखाई पड़ रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों हो रहा है ?

मैं सरकार का ध्यान कृषि की ओर पुन: आकर्षित करने का प्रयास इसलिये कर रहा हूं कि ऐसा समय कहीं फिर न आये कि जब बिहार को फिर दुबारा अकाल का सामना करना पड़े। मैं इस समय सरकार के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अगर सरकार चाहे तो उस पर ध्यान दे सकती है और इससे वहां उन्नति लायी जा सकती है। बिहार में एक भूमि विकास अधिकोश है और कांग्रेसी प्रशासन में उस ने केवल 80 लाख रुपया किसानों में प्रसारित किया। कांग्रेसी प्रशासन के समाप्त होने के बाद जैसे ही वहां का शासन विरोधी दल के लोगों के हाथ में आया, उस अधिकोश से दस, बारह महीनों में किसानों को पंपिंग सेट, बोरिंग, ट्रैक्टर्स आदि के लिये 2 करोड़ रुपया दिया गया और तीसरा करोड़ रुपया वह वितरित कर रहा है। उस की योजना यह है कि बिहार में ट्यूब वेल्स का जाल बिछा दिया जाय। उस की योजना है कि बिहार की जो जमीन असमतल है उस को समतल बना दिया जाय, उस में चैनल्स बना दिये जायें। उस की योजना है कि किसानों को ट्रैक्टर्स मिल जायें, उन की गिरवी रखी जमीन को छुड़ा दिया जाय, जिस प्रकार उसे रुपये की मदद की आवश्यकता है वह उसे मिलनी चाहिये। इस समय केन्द्र के हाथ में वहां की सरकार है। मैंने सरकार से एक प्रश्न पूछा था कि वहां की जमीन को समतल करने के लिये एक ट्रैक्टर यूनिट की आवश्यकता है, ट्रैक्टर संगठन की आवश्यकता। है वहां की सरकार ने उस संबंध में बताया कि उस का एक ट्रैक्टर यूनिट है यद्यपि वहां नहीं है। अगर रहता तो पूर्णियां में एक साढ़े चार करोड़ की स्कीम भूमि विकास अधि ोश की बिहार में 3 लाख 24 हजार एकड़ भूमि को समतल करने के लिये पड़ी हुई है। ो मैंने इस स्कीम के अधिकारी कृषि पुनर्वित्त निगम को आग्रह किया था कि वह इस ओर ध्यान दे। (*Time bill rings*) मैंने आप से आग्रह किया था कि यह बिहार का बजट है इस पर कुछ ज्यादा समय तो चाहिये ही। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि वह बिहार में कृषि और माइनर इरिगेशन पर अधिक ध्यान दे। केन्द्रीय सरकार चाहे तो आज बिहार की इस संबंध में जो आवश्यकता है उस की पूर्ति कर सकती है। अकेले भूमि विकास अधिकोश ही बिहार में पंपिंग सेट्स का जाल बिछा सकता है बशर्ते कि अन्य विभागों का संपूर्ण सहयोग उसे मिल जाय।

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

दूसरी बात मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश केन्द्र के जिम्मे आने के बाद इस सरकार ने कौन सी ऐसी स्कीम, कौन सी योजना बनायी जिस से वहां पर खनिज द्रव्यों का जो अपार भंडार है उस का एक्सप्लायटेशन बिहार के पक्ष में हो सके। मेरे कहने पर कहा जायगा कि मैं प्रान्तीयता की बात करता हूं, लेकिन वहां पर जो बड़े बड़े प्लान्ट बने हैं उन में बिहार के बाहर के लोग भरे हुए हैं। वहां चपरासी बन कर भी दूसरे प्रदेशों के लोग आ जाते हैं, किन्तु वास्तव में प्रजातंत्र में यह नियम होना चाहिये कि लोकल लोगों को, कम से कम 500 रुपये तक के वेतन की नौकरी के लिये उस प्रदेश के लोगों को ही लिया जाना चाहिये। आज उन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे देखना अत्यंत आवश्यक है और अगर यही हालत रही तो बिहार के लिये यह चीज अच्छी नहीं रहेगी।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है कि बिहार में जितनी कोलियरीज है या अन्य दूसरी तरह की जो खानें हैं उन का मुख्यालय उन के मालिकों ने या तो कलकत्ता बना रखा है या बंबई और इस कारण सेंटर जो टैक्स का हिस्सा प्रदेश को देता है उस का शेयर बिहार प्रदेश को नहीं मिल पाता। आज बिहार का प्रशासन केन्द्र के हाथ में है। क्या यह सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिन उद्योगों के मुख्यालय बिहार प्रदेश के बाहर होने के कारण बिहार प्रदेश को उन का लाभ नहीं मिल पाता, उस का लाभ बिहार प्रदेश को मिलने लगे ?

मैं सरकार से यह भी चाहता हूं कि चौथी योजना में वह ऐसी योजना बनाये कि जिस से बिहार में आगे अकाल ही न पड़े। उस के पास जो साधन हैं, जैसे बरौनी आयल रिफाइनरी है, वहां इस रिफाइनरी के एनसीलियरी उद्योग के रूप में करीब करीब सौ, डेढ़ सौ छोटे छोटे उद्योग धंधे खड़े किये जा सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो वहां पेट्रो केमिकल का उद्योग भी खड़ा किया जा सकता है और ऐसा करने से वहां के इंजीनियरों को ही काम नहीं मिलेगा बल्कि और दूसरे नौजवानों को भी काम मिल सकता है। ऐसी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की, जितने भी बड़े बड़े प्लान्ट वहां पर बिठाये जा रहे हैं उन के साथ इन की आवश्यकता है और यह केवल प्रदेश की सरकार का ही नहीं केन्द्र की सरकार का भी कर्त्तव्य है इसलिये इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से और भी जो खनिज द्रव्य हैं उन का एक्सप्लायटेशन ठीक ठीक हो सके इसके लिये सरकार क्या करना चाहती है यह मैं जानना चाहता हूं।

इस के अतिरिक्त मैं एक अत्यन्त आवश्यक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है ईख की खेती। अभी मोहनी मिल के दायरे में 10 हजार एकड़ में ईख की खेती की हुई है। इस में लाखों टन ईख पड़ी हुई है और मोहिनी मिल बंद है। वहां पर किसान सत्याग्रह करने, भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। जिस समय संविद की सरकार थी उस के सहकारिता मंत्री ने जितनी सहकारिता में मिलें थीं उन को चलाने का प्रयास किया था, उस के लिये योजना बनायी थी. . .

एक माननीय सदस्य : चलायी क्या !

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : चलाने की योजना बनी थी वह चलती, लेकिन अगर वह मिल न चली तो यह जो लाखों लाख टन ईख पड़ी हुई है वह सब बर्बाद हो जायगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : समय की योजना में अब आप को समाप्त करना होगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : तो मैं केन्द्र की सरकार से कहना चाहता हूं कि चीनी का उद्योग प्रायः उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है, बिहार का तो है ही। और आज दक्षिण और पश्चिम हिन्दुस्तान में ईख की खेती का अधिक पोटेंशियल होने के कारण वहां पर सस्ती चीनी पैदा हो सकती है, लेकिन उसकी प्रगति में अगर हम ने उचित ध्यान नहीं दिया तो बिहार प्रदेश से यह जो चीनी की इंडस्ट्री है वह समाप्त हो जायगी। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यह चीनी उद्योग जो बिहार का मुख्य उद्योग है उस की रक्षा के लिये सरकार ने इस बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की। मैं चाहता हूं कि सरकार इस की व्यवस्था करे।

बिहार प्रदेश एक सीमा का प्रदेश है। मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूं और सरकार इस को स्वीकार भी करती रही है कि वहां पर तस्कर व्यापार होता है और इस के जरिये ही बिहार का जूट उद्योग समाप्त

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

हो गया और अब दूसरे बिहार के उद्योग भी समाप्त होते जा रहे हैं और केन्द्र सरकार को उस के चलते करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है। नेपाल सरकार ने तो विधेयक में थोड़ा सा परिवर्तन ला कर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिस के कारण और भी दिक्कतें अपने देश और प्रदेश के लिये हो गयी हैं। इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश के वनवासी क्षेत्र में और सीमा क्षेत्रों में पंचमांगी घुसते आ रहे हैं। चाहे वह पाकिस्तान के समर्थक हों अथवा चीनी समर्थक हों, वे भोले भाले वनवासियों को बरगला रहे हैं और साथ ही साथ साम्प्रदायिक तनाव भी वहां पर खड़ा कर रहे हैं। सरकार ने अगर वहां की उचित व्यवस्था नहीं की तो वहां की स्थिति डांवांडोल हो सकती है। दूसरी जगहों से जो विदेशी मिशनरी भागे उन का बहुत बड़ा भाग अपने इस प्रदेश में चला आया है और आज व जबरन वहां के लोगों को पैसे के लोभ से या अन्य उपायों से ईसाई बना रहे हैं। जिस प्रकार से उड़ीसा सरकार ने एक विधेयक बनाया है इस प्रकार के जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये वैसा ही केन्द्र की सरकार को भी करना चाहिये।

मैं एक आग्रह सरकार से और करना चाहूंगा। भूमि विकास बैंक के संबंध में बिहार प्रदेश में एक कानून बना था जो समुचित रूप से पारित नहीं हो सका। वह कानून इस सरकार के द्वारा पारित होना चाहिये। साथ ही साथ भूमि विकास अधिकोश जो ऋण देता है वह ऋण पिछड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। वहां हरिजन और वनवासियों को यह ऋण देना चाह कर भी वे नहीं दे पातें हैं क्योंकि कानून उनके रास्ते में बाधक है। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा एक अध्यादेश निकाले जिस से इन सब लोगों को भी बराबर से यह ऋण मिल सके और बिहार प्रदेश के किसानों के खेत में ट्यूब वेल, पंपिंग सेट और बोरिंग की सुविधा हर एक को मिल सके जिस से बिहार अन्न के मामले में स्वावलम्बी हो सके।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं इस बजट पर बोलते हुये सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि समय बहुत थोड़ा है। हमारे पहले वक्ता यादव जी ने कांग्रेस सरकार और संविद सरकार इत्यादि की बातें कहीं उसमें जाने पर कुछ समय ज्यादा लग जायगा, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। उन्होंने एक बात मिल के सम्बन्ध में कही कि संविद सरकार ने एक योजना बनाई थी। मैंने उसी वक्त पूछा था कि वह योजना चली। शायद अगर मैं होता तो ईमानदारी की बात कहता कि सरकार ही चली गई तो योजना कैसे चलती। हमने इतनी योजनाएं बनाईं, इतनी योजनाएं चलाईं, उसमें सफलता भी मिली देश को, सूबे को, सभी लोगों को, लेकिन उसमें कोई भी अच्छाई उनको नजर नहीं आती है। खैर, यह उनका दृष्टिकोण है।

आखिर में पंचमांगियों की बात का उन्होंने ज़िक्र किया जिन के साथ वे अपनी सरकार भी चलाते रहे। जैसा कि मैंने कहा मैं उन सब बातों में जाना नहीं चाहता।

मैं इस मौके पर सिर्फ एक बहुत आवश्यक बात करना चाहता हूं और इसलिये करना चाहता हूं कि इस समय बिहार में केन्द्र का शासन है और केन्द्र में कांग्रेस का शासन है। इस देश के अन्दर जितने भी बड़े बड़े काम हुये हैं वे सब कांग्रेस की ही सरकार ने किये हैं, चाहे किसी सूबे में किये हों या केन्द्र में किये हों, और हमारे भाइयों ने आलोचना के सिवा और कोई काम नहीं किया है। जब यह बात मैं कह रहा हूं तो खास तौर से मैं इस सदन का और केन्द्र सरकार का ध्यान वहां के नानगजटेड जो एम्पलाइज

हैं, कर्मचारी हैं, उनके कुछ सवालों की तरफ खींचना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, मैं मजदूर क्षेत्र में काम करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूं। इस लिये भी मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने अपने केन्द्रीय कर्मचारियों को गजेन्द्र गडकर कमीशन की सिफारिश के मुताबिक महंगाई भत्ता दिया, उसी तरह से आज यह मांग आई है कि जब केन्द्र सरकार के शासन में बिहार है तो इस बात पर विचार किया जाय कि बिहार सूबा के जो नानगजेटेड एम्पलाइज हैं, अराजपत्रित कर्मचारी हैं उन लोगों को भी केन्द्र के कर्मचारियों की तरह से यानी गजेन्द्र गडकर कमीशन की सिफारिश के मुताबिक महंगाई भत्ता क्यों न दिया जाय। यह बात ठीक है कि इस में करीब दस करोड़ से अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यह सरकार का काम है कि वह इस पर विचार करे। उनको महंगाई भत्ता मिलना चाहिये, मैं इस सदन में यह मांग करना चाहता हूं। एक बात यह जरूर है कि जिस समय गजेंद्र गडकर कमीशन बैठा था उस समय सरकार को यह सोचना चाहिये था कि चाहे वह केन्द्र की सरकार हो, सूबा की सरकार हो, इस सवाल को उन्होंने कमीशन के सामने क्यों उपस्थित किया और जब कमीशन के सामने यह सवाल उपस्थित हुआ तो ऐसी हालत में कमीशन की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य हो जाता है। केन्द्र की सरकार ने उसको लागू किया और बहुत से सूबों की सरकारों ने भी उसको लागू किया, तो फिर यह बिल्कुल मुनासिब है कि बिहार के अन्दर भी सरकार इस सिफारिश को लागू कराये और अपने कर्मचारियों को उसके अनुसार महंगाई भत्ता दे। अगर उनको पैसे का खयाल था कि अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा तो उस समय ही इस सवाल को कमीशन के सामने पेश नहीं करना चाहिये था और यह एक दूसरी बात होती लेकिन जब कमीशन के सामने यह सवाल पेश हुआ और कमीशन ने तमाम बातों पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की कि केन्द्र के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की जो दर है वही सूबे की सरकारों के कर्मचारियों की भी महंगाई के भत्ते की दर होनी चाहिये, तो आज यह मुनासिब है और इसको मानना चाहिये। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कर्मचारियों के सामने सिवाय लड़ाई करने के और कोई उपाय नहीं रह जाता है। जहां तक लड़ाई करने का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मजदूरों के जितने सवाल हैं वे समझौते के रास्ते से, शांति के रास्ते से, बातचीत के रास्ते से और पंच के रास्ते से तय किये जायं। इस लिये जब गत महीने में बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों ने वहां पर हड़ताल की तो मैंने उस हड़ताल का समर्थन नहीं किया। आखिर में उन्होंने हड़ताल को वापस लिया और आज उसके चलते भी दो एक सवाल उपस्थित हो गये हैं जिन का मैं दो शब्दों में जिक्र करना चाहता हूं। हड़ताल वापस लेने के बाद यह सवाल उठा है कि जिस पीरियड में वे काम पर नहीं गये उसको कैसे ट्रीट किया जाय। स्वयं बिहार के राज्यपाल ने इस बात का फैसला किया है कि उसको एक्सट्राआर्डिनरी लीव ट्रीट किया जाय।

एक माननीय सदस्य : वह लोग सुन नहीं रहे हैं।

SHKI ANANT PRASAD SHARMA: Because they are not interested in the workers demands and problems.

में कहना चाहता हूं कि यह सवाल खड़ा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने खुद इस बात का फैसला किया है कि वह पीरियड एक्सट्राआर्डिनरी लीव ट्रीट किया जाय। मैंने राज्यपाल जी को एक पत्र लिखा है और आज मैं यह सदन में कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां पर कर्मचारियों की अपनी छुट्टी बाकी है, लीव

[श्री अनन्त प्रसाद शर्मा]

ड्यू विथ फुल पे, हाफ पे बाकी है, वहां पर भी उनको मजबूर किया जाय कि वे एक्स-ट्राआर्डिनरी लीव बिना तनख्वाह के लें, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है । इस लिये मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि अगर वे यह चाहते हैं कि उनको वह जो पीरियड है वह लीव ड्यु में ट्रीट किया जाय तो उनकी इस बात को स्वीकार करना चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा सरकार करती है तो इसमें सरकार को कोई नुक्सान नहीं होता है और कर्मचारियों की सदभावना सरकार को मिलती है जिस से परिस्थिति भी आगे बदल जायगी ।

आखिर में मैं एक बात कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं जो मैंने उनसे वहां भी कही है और वह यह है कि कर्मचारियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे राजनैतिक पार्टियों के दांव-पेंच का शिकार न बनें ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : कांग्रेस पार्टी के दांव-पेंच का भी शिकार न हों ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने बराबर यह कहा है : The employees should not become the tools in the hands of the political parties and that includes my party also. इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि व राज-नैतिक पार्टियों के दांवपेंच का शिकार न बनें उन्होंने पिछले दिनों में इस बात को प्रमाणित किया है। जब संविद सरकार थी उस समय उन्होंने हड़ताल नहीं की ।

श्री रेवती कांत सिंह (बिहार) : 11 सितम्बर, 1967 को उन्होंने हड़ताल की ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा: पांच दिन के लिये ।

श्री रेवती कान्त सिंह : जी नहीं, एक दिन के लिये ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कर्मचारियों का आन्दोलन है वह किसी राजनैतिक पार्टी का अंग नहीं बनना चाहिये । That should be exclusively an employees' movemer t, a trade union movement. उसका निपटारा भी ट्रेड यूनियन के लेविल पर होना चाहिये । इसी लिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो उनकी मांग है उसको सुलझाने के लिये जैसा कि मैंने पहले कहा है कि समझौते का रास्ता, शांति का रास्ता और आखिर में आर्बिट्रेशन का रास्ता अपनावें । उसके लिये मुझे मालूम हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट ने उनकी एसोसिएशन को आफर किया है कि एक ऐसी मशीनरी बनाई जाय जिस में उनके दो प्रतिनिधि होंगे, सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे और एक निष्पक्ष व्यक्ति उसका चेयरमैन होगा। यह जो पांच आदमियों की एक कमेटी होगी उसमें उनके सारे सवाल रखे जायेंगे और उनका इस तरह से फैसला होगा जिससे उनको हड़ताल करने की आवश्यकता न पड़े। मेरा विश्वास है कि कर्मचारी भी सरकार के इस सुझाव को मानेंगे और आगे आने वाले जो उनके सवालात हैं उन सवालों को शांति के तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जहां तक मंहगाई भत्ते का सवाल है उनको केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता मिलना चाहिये जैसा कि केन्द्रीय कर्मचारियों को गजेन्द्र गडकर कमीशन की सिफारिश के मुताबिक मिलता है और उनका हड़ताल का वह पीरियड लीव ड्यू ट्रीट होना चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट पर और अधिक न कह कर इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रेवती कान्त सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि जिन अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगों के लिए 1957 से मैं लड़ता

आ रहा हूं सदन के बाहर और इस सदन में भी आने के बाद से उन मांगों का अब पुर-जोर ढंग से हमारे माननीय सदस्य शर्मा जी ने भी समर्थन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अराजपत्रित कर्मचारियों की लड़ाई के सिलसिले में मैंने इस बात को मार्क किया है कि बिहार सरकार के जो अफसर हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, जो बजट तैयार करते हैं—चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे संविद की सरकार रही हो, चाहे शोषित दल की सरकार रही हो या आज राष्ट्रपति शासन है—हमेशा हमने इस बात को मार्क किया है कि वह बजट गलत बनाते हैं और गलत ढंग से बनाते हैं और यही वजह है कि बजट की बुनियाद ही बिहार की गलत रहती है। इसलिए बजट में कोई ऐसा प्रोवीजन हो नहीं पाता जिससे आम जनता या कर्मचारियों को कोई सुविधा मिल सके। इस बजट को भी मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण भी मैंने पढ़ा और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उन्होंने अपने बजट भाषण के पैरा 2 में ओवरड्राल के बारे में जिक्र किया है। मैं आपको शुरू में ही यह कह देना चाहता हूं कि जो भी सरकार आती है बिहार की नौकरशाही उसके सामने ओवरड्राल का हौआ खड़ा कर देती है। मैं प्रारम्भ में ही यह कहना चाहता हूं कि यह ओवरड्राल ऐसी चीज नहीं है जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति का पता चल सके। ओवरड्राल डे-टु-डे ट्रांजेक्शन्स का पता देता है और उस डे-टु-डे की चीज को सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में हौआ खड़ा कर के कह दिया जाता है कि 25 करोड़ का ओवरड्राल है, 16 करोड़ का ओवरड्राल है, 30 करोड़ का ओवरड्राल है और यही वजह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के पैरा 2 में यह कहा है कि 1967-68 के अन्तिम दिनों में 30 करोड़ रुपए के तदर्थ ऋण देने के बावजूद बिहार में ओवरड्राल की स्थिति सुधार नहीं सके। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब आप बजट को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे की 1968-69 का ओपनिंग बैलेंस है (—) 16 करोड़ 30 लाख 12 हजार रुपया।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI in the Chair.]

इसका मतलब यह होता है कि 1967–68 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वह माइनेस 16 करोड़ 30 लाख 12 हजार रुपया था और इस रुपए के भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपए का तदर्थ ऋण दिया जाय और उसके बाद भी वह भुगतान न हो। कहीं न कहीं कोई लेक्युना है, डिस्क्रीपेन्सी है और वह डिस्क्रीपेन्सी मैं आपको बताना चाहता हूं। वह यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वित्त की जो एक्चुअल पोजीशन बजट पेश करने के समय की एक्चुअल पोजीशन को आधार बनाया है, लेकिन जो बजट पेश किया गया है वह बजट है रिवाइज्ड एस्टीमेट पर आधारित जो पिछले संविद सरकार ने बनाया था। इस तरह से इस बजट की बुनियाद ही गलत हो जाती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 1967–68 के बजट के आधार पर 31 मार्च, 1968 को हमारा ओपनिंग बेलेंस क्या होना चाहिए। क्या एक्चुअल पोजीशन है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। 1967–68 में ओपनिंग बैलेंस (—) 16.20 करोड़ रुपए, रेवेन्यू एकाउन्ट (—) 13.26 करोड़ रुपए, केपिटल एकाउन्ट (+) 35.06 करोड़ रुपए, कन्टिन्जेन्सी फन्ड एकाउन्ट (—) 9.54, पबलिक एकाउन्ट 14.54 करोड़ रुपए था। इस तरह से 1967–68 का क्लोजिंग बेलेंस हो गया (—) 3.90 करोड़ रुपया। इसलिए इस साल का ओपनिंग बेलेंस होना चाहिए था (—) 3.90 करोड़ रुपया। हमारा बजट इस साल का शुरू होता है 3 करोड़ 90 लाख रुपए के घाटे से न कि 16 करोड़ 30 लाख 12 हजार रुपए के, घाटे के साथ। इस तरह बजट की बुनियाद ही गलत है। श्रीमन् मैं यह बतलाना चाहता हूं कि 1967–68 में अगर रिलीफ फंड, सेन्ट्रल असिस्टेंस और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की मद के करीब

[श्री रेवती कान्त सिंह]

13 करोड़ रुपए केन्द्र से मिल गए होते तो जो यह 30 करोड़ रुपए का एड हाक लोन लिया गया है वह लेने की जरूरत न पड़ती, वह सिर्फ 17 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती। तब हमारा यह बजट घाटे के ओपनिंग बैलेंस से शुरू न होता, यह बजट बचत के ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर साल हमने इस बात को महसूस किया है कि बिहार का जो बजट बनता है उसमें सारे अनुमान गलत लगाए जाते हैं, चाहे आमदनी के अनुमान हों या खर्च के अनुमान हों। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ तीन साल के कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं पहले ओपनिंग बैलेंस के बारे में कहना चाहता हूं। 1965-66 में अनुमान था ओपनिंग बैलेंस का (—)90 लाख रुपया लेकिन एक्चुअल हुआ (+) 295 लाख रुपया, 1966-67 में अनुमान था (—) 548 लाख रुपया लेकिन एक्चुअल हुआ (+) 387 लाख रुपया, 1967-68 में अनुमान था (—) 162 लाख और एक्चुअल भी (—)162 लाख हुआ क्योंकि उस बजट में उस समय की एक्चुअल पोजीशन ही दी गई थी। 1968-69 में अनुमान लगाया गया है (—) 1630 लाख रुपया लेकिन जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया वह है (—)390 लाख रुपया। इसी तरह से रेवेन्यु रिसीट का फिगर मैं देना चाहता हूं। 1965-66 में अनुमान था 10,228 लाख रुपया लेकिन वास्तविक हुआ 10,769 लाख रुपया, 1966-67 में अनुमान था 12,506 लाख रुपया, वास्तविक हुआ 11,732 लाख रुपया 1967-68 का अनुमान था 12,912 लाख रुपया, वास्तविक हुआ 12,709 लाख रुपया। 1968-69 का अनुमान है 14,803 लाख रुपया लेकिन मैं पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को देखने के बाद यह कह सकता हूं—अगर उतना समय होता तो मैं साबित कर देता—कि यह रिसीट 15,503 लाख से ज्यादा ही हो सकता है। अब मैं केपिटल रिसीट्स के फिगर्स देना चाहता हूं। 1965-66 में अनुमान था 6,952 लाख रुपया लेकिन वास्तविक हुआ 10,350 लाख रुपया, 1966-67 में अनुमान था 8,605 लाख रुपया लेकिन वास्तविक हुआ 17,616 लाख रुपया, 1967-68 में अनुमान था 30,668 लाख रुपया लेकिन वास्तविक हुआ 32,107 लाख रुपया। मैं पिछले तीन वर्षों में रेवेन्यू एकाउन्ट में सरप्लस और डेफिसिट के फिगर्स देना चाहता हूं। 1965-66 का अनुमान था। (+) 570 लाख रुपया, मगर वास्तविक हुआ 267 लाख, 1966-67 का अनुमान था (+) 1587 लाख, वास्तविक हुआ (—) 1354 लाख, 1967-68 का अनुमान था (—) 1468 लाख, वास्तविक हुआ है (—) 1326 लाख और इस साल अनुमान लगाया गया है (+) 1304 लाख, हमारा अनुमान है कि वह होगा (+) 1926 लाख। (*Time bell rings*) श्रीमन, बिहार के बजट पर इस ढंग की व्याख्या अभी तक कोई सेहीं कर सका है बिहार में असेम्ब्ली नहीं है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : और लोग भी बोलना चाहते हैं।

श्री रेवती कान्त सिंह : मुझे पूरा खत्म करने दीजिए। अब मैं आपको केपिटल एकाउन्ट की सरप्लस और डेफिसिट की फिगर्स देना चाहता हूं। 1965-66 में अनुमान था (—) 999 लाख लेकिन वास्तविकता थी (—) 832 लाख, 1966-67 में अनुमान था (—) 2763 लाख, वास्तविकता थी (+) 1103 लाख।

1967-68 का अनुमान था (—) 1033 लाख, वास्तविक हुआ (+) 3506 लाख। 1968-69 का अनुमान लगाया गया है (—) 936 लाख, हमारा अनुमान है (—) 552 लाख।

श्रीमन, इसी तरह मैं क्लोजिंग बैलेंस के फिगर्स भी देना चाहता हूं। 1965-66 का अनुमान था (—) 385 लाख लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस था (+) 387 लाख। 1966-67 का अनुमान था (—) 1620 लाख, लेकिन वह वास्तव में आया (—) 162 लाख। 1967-68 का अनुमान था (—) 1630 लाख लेकिन वास्तव में आया है (—) 390 लाख और 1968-69 का अनुमान लगाया

है (—) 1780 लाख लेकिन मेरा अनुमान है, जिस ढंग से मैंने इसका अध्ययन किया है उस ढंग से बजट बनाया गया होता तो हमारा बजट सर्प्लस होता और हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता (+) 1566 लाख ।

यह तो बजट बनाने की जो विधि है उस विधि की मैंने विवेचना की । ग़लत ढंग से बजट बनाया ही जाता है और ग़लत ढंग से बनाकर जनता को, सरकार को, संसद् को, विधान सभा को, सब को धोके में रखा जाता है कि बिहार की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है । वास्तविकता यह है कि जो मद में खर्च होना चाहिये, जनता के लाभ के मद में, उसमें तो कटौती कर दी जाती है और तामझाम में, टिपटाप में, तड़क भड़क में, बहुत खर्च किया जाता है । हमने 1957 में एक मेमोरेन्डम दिया था जब मैं स्वयं नौकरी में था । उसमें हमने बतलाया बिहार की 23 करोड़ रु० की बरबादी होती है । मुझे इस बात का फक्र है कि आज तक किसी सरकार ने हमारे मेमोरेन्डम को कान्ट्राडिक्ट नहीं किया है और इसलिए मैं मानता हूं कि मैंने जो फिगर्स दिये वे सही दिये ।

श्रीमन्, अब मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो पहले एस्टीमेट थे रिसीट के उसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया है और बढ़ाने के सिलसिले में उन्होंने बतलाया है कि मालगुज़ारी की मद में हमने छ: करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा रुपये वसूल करना तय किया है । श्रीमन्, आपको पता है संविद की सरकार ने यह तय किया था कि जो ऐसे किसान हैं जो अलाभकारी जोत पर खेती करते हैं उनकी मालगुज़ारी हम खत्म कर दें । इसलिए संविद की सरकार ने यह इस्टीमेट किया था कि हम 3 करोड़ 99 लाख 74 हज़ार रुपये इस मालगुजारी से वसूल करेंगे, लेकिन इन्होंने इसको 12 करोड़ कर दिया है श्रीमन्, मैं आपको दो एक आंकड़े देकर बतलाना चाहता हूं कि जिन मदों से रुपया वसूल हो सकता था, वसूल होने लायक था जिसमें आम जनता के ऊपर कोई भी भार नहीं पड़ने वाला था, उन मदों को तो छोड़ दिया गया । मैं आपको बतलाता हूं कि टैक्सेस ऑन इनकम में 1965–66 में 11 करोड़ 71 लाख रु० वसूल हुआ है, 1966–67 में 12 करोड़ 56 लाख 85 हज़ार रु० वसूल हुआ है, 1967–68 में एस्टीमेट था 12 करोड़ 44 लाख 52 हज़ार रुपये वसूल होगा लेकिन वास्तव में वसूल हुआ 15 करोड़ 99 लाख रु० । (*Time bell rings.*) इसी सिलसिले में मैं आपको बतलाऊंगा, मैं फिगर नहीं दूंगा, मैं टैक्सेस आन इनकम, एस्टेट एकसाइज ड्यूटी, टेक्सेज आन् व्हीकिल्स, सेल्स टेक्स, इन्टरटेनमेन्ट टैक्स, इन सब टैक्सों से जो वसूल होने की गति है, पिछले तीन वर्षों में वह गति प्रोग्रसिव है, बराबर बढ़ती गई । आपको यह भी स्मरण होगा कि पिछले साल ड्राट का, सूख का साल था बिहार में, तो भी इन टैक्सेज की वसूली में बढ़ती हुई है लेकिन इस बार जो इस्टिमेट बना हुआ है वह पिछले साल से भी कम का इस्टीमेट बना हुआ है । श्रीमन्, अगर वास्तविकता के आधार पर इस्टिमेट बन जाय तो कम से कम 16 करोड़ और ज्यदा वसूल हो सकते थे । उसके लिये 12 करोड़ रुपये किसानों से वसूल करने की जरुरत नहीं पड़ती ।

श्रीमन्, कहा जाता है कि अगर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय दर के हिसाब से हम देते हैं—जैसा कि पिछले साल कहा गया—तो 16 करोड़ रु० खर्च हो जायेंगे । अभी शायद कहा जाता है कि 10 करोड़ रु० खर्च हो जायेंगे । मैं श्रीमन्, आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं । सरकार का एक, अन्फन्डेड डेट होता है जिसमें सरकारी कर्मचारियों का जी० पी० फंड

[श्री रेवती कान्त सिंह]

जमा होता है। पिछले साल की बात आपको बताता हूं, संविद कीं सरकार ने एक बड़ा गलत काम किया कि जो महंगाई भत्ता बढ़ाया था, उसका कुछ हिस्सा उसमें जमा कर दिया जिसमें सरकार ने अनुमान लगाया कि वह रुपया डैफर्ड पेमेन्ट और रेगुलर जी० पी० फंड में सारा रुपया जमा होगा 1083 लाख रु० होगा लेकिन वास्तव में जमा हुआ 617 लाख। इसके मुताबिक, सरकार ने जो कहा था कि 16 करोड़ रु० खर्च होंगे वह बिलकुल गलत था। वास्तव में वह रुपया आज भी अगर दिया जाय तो 8 करोड़ से ज्यादा खर्च होने वाला नहीं है। हमने आमदनी के बहुत जरिये बनाये हैं। अगर सरकार की सही मानी में ईमानदारी है तो उन जरियों को उपयोग में लाकर सरकार अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग पूरा कर सकती है लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि चव्हाण साहब ने 25 जुलाई को अपील की कि अराजपत्रित कर्मचारी हड़ताल वापस ले लें। उनकी अपील इस सदन की चहार-दीवारी के बाहर नहीं निकल पायी थी कि बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली, उस समय आश्वासन दिया गया कि उनको विक्टिमाइज नहीं किया जायेगा लेकिन श्रीमन् जैसा कि मैंने 14 तारीख को इस सदन में बताया था, किस तरह से उनको विक्टिमाइज किया जाता है, कहा जाता है तुम जबर्दस्ती बिना वेतन के छुट्टी ले लो, तुमको फिर नौकरी में लेंगे, नये सिरे से लेंगे। इस तरह से वहां लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है।

(*Time bell rings*)

श्रीमन्, जैसा कि कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मा जी ने सदन के सम्मानित सदस्यों से जिस ढंग से अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग के बारे में कहा है मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि पिछले एक साल से उनको दोहराते आ रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि यह बजट जो बनाया गया है, केन्द्र के हस्तक्षेप से थोड़ा उसमें जरूर सुधार हुआ है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी उसमें सुधार की बहुत गुंजायश है और मैंने जो सजेशन दिया है उसके आधार पर फिर से बजट बनाया जाय तो वह आम जनता तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर सकता है। धन्यवाद।

श्री शीलभद्र याजी: माननीय वाइस चेयरमैन महोदय, मैं बिहार बजट के बारे में एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये करता हूं कि 26 करोड़ 33 लाख रु० का जो घाटा था जो कि सम्पूर्ण विनाशक दल ने अपने बजट में दिखाया था उसको हमारे देश में आज़ादी लाने वाली और आगे समाजवाद लाने वाली पार्टी ने हिसाब किताब लगा कर 1 करोड़ 50 लाख रु० के घाटे के बजट में लाकर उपस्थित किया है।

सर्वप्रथम, जो हमारे मजदूर नेता ए० पी० शर्मा जी और श्री रेवती कान्त सिंह ने हमारे यहां जो नान गेजेटेड आफिशल्स हैं, कर्मचारी हैं उनके भत्ते के बारे में जो मांग की है कि उसमें वृद्धि होनी चाहिये जिस तरह से हमारे केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्ते वृद्धि हुई, उसका मैं भी तहेदिल से समर्थन करता हूं और चूंकि इस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन बिहार में राष्ट्रपति का शासन है सलिये हमारी भी इस सरकार से पुरजोर अपील है कि उनकी जो न्यायोचित मांग है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार करें और जो कोई भी स्ट्राइक पीरियड का वेतन है उसको काटने की अगर बात हुई है तो वह न कटने की व्यवस्था की जाय।

5 P.M.

इसके साथ, मैं एक बात बहुत जोर से कहना चाहता हूं क्योंकि यहां एक आवाज उठाई गई कि हमारे सूबे का—बिहार का—नाम ही बदल दिया जाय—इस सदन में नहीं तो

उस सदन में उठाई गई। अभी बिहार में एक करोड़ हम मगधी लोग हैं, 5 करोड़ 26 लाख हमारी आबादी है। बिहार का मतलब है मगध, छोटा नागपुर भी है, मिथला भी है, अंग भी हैं, भोजपुरी भी है। तो यह सब व्यापक नाम हैं। इसलिए यह सर्व-व्यापक है कि जो आवाज उठाई गई है कि हमारे सूबे का नाम बदल दिया जाय, यह कदापि नहीं बदला जाना चाहिये। उसका नाम जो बिहार है वह बिहार ही रहना चाहिये। उसका नाम न मगध रखा जाना चाहिये, न भोजपुरी होना चाहिये और न मिथला ही होना चाहिये। उसका नाम झारखन्ड भी नहीं रखा जाना चाहिये चूंकि इस चीज की आवाज आसाम, नागालैंड में चल रही है और मुझे पता नहीं कि हमारी सरकार इस संबंध में क्या करेगी। आसाम के टुकड़े किये जायें, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। आसाम के टुकड़े हों, मणिपुर के टुकड़े हों, इस चीज का मैं सख्त विरोध करता हूं। अगर यह हवा बिहार में भी फैली तो हमारे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हो जायेंगे जैसे कि अभी रांची में झारखंड के लोगों ने किया था। 3 करोड़ आदिवासी हैं, तो आप उनका कहां कहां प्रदेश अलग से बनायेंगे। इसी तरह से फिर आपको उड़ीसा के टुकड़े करने होंगे, बिहार में करने होंगे, बंगाल में करने होंगे, मध्य प्रदेश में करने होंगे। इसलिए जो यह टुकड़े करने की नीति है उसको सरकार को कभी भी नहीं मानना चाहिये। न सरकार को बिहार का विभाजन करना चाहिये, न आसाम का विभाजन करना चाहिये और न ही बिहार का नाम बदलना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व-वक्ता श्री यादव साहब ने कहा कि बिहार में खनिज पदार्थों का भंडार पड़ा हुआ है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और उसकी जमीन जरखेज है और बड़ी उपजाऊ है। वहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां पर पैदावार कम होती है। इसलिए मैं वाइस चेयरमैन साहब, केन्द्रीय सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो कोसी और गंडक की योजनाएं हैं, उसके लिए वह ज्यादा से ज्यादा इमदाद दे। जितना रुपया सरकार अमरीका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदने में खर्च करती है अगर उतना रुपया वह उत्तरी बिहार की मदद में दे तो उससे सारे देश को अन्न प्राप्त हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि उत्तर बिहार इस देश का गार्डन है, बगीचा है और वहां की जमीन उपजाऊ है। सिर्फ वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अगर कोसी और गंडक प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो इससे न सिर्फ बिहार को फायदा होगा बल्कि इससे उत्तर प्रदेश और नेपाल को भी फायदा होगा। अगर कोसी योजना जल्दी से पूरी हो जाती है तो इससे बिजली और सिंचाई की व्यवस्था उस क्षेत्र में आसानी के साथ पूरी की जा सकती है। वहां की बिजली साउथ बिहार में आ सकती है और गांवों में ट्यूबवैल लगाये जा सकेत हैं तथा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। अगर कोसी और गंडक योजनाओं को जल्दी से पूरा कर दिया जायगा तो इससे देश को ज्यादा गल्ला प्राप्त हो सकेगा जो सारे हिन्दुस्तान के लिए काफी होगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि पटना जिला के गंगा के मैदान में मुकामा हाल जो घाट से बढैया तक है के लिए जो सिंचाई की स्कीम थी, अगर उसको पूरा कर दिया जायेगा तो उससे उस क्षेत्र में अनाज की पैदावार बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी। यह इलाका बहुत ही उपजाऊ है और इसमें कई फसलें हो सकती हैं। इसलिए इस चीज को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।

[श्री शीलभद्र याजी]

अभी हमारे विरोधी दल के लोगों ने बिहार में जो इस समय प्रशासन है उसके ऊपर प्रहार किया, वहां के गवर्नर के ऊपर प्रहार किया। मैं उनकी वकालत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात विरोधी दल से कहना चाहता हूं और इस सदन में जो इस संबंध में चर्चा हुई है कि अगर इसी तरह की समालोचना और प्रहार वहां के कर्मचारियों और शासन के ऊपर होते रहे तो वहां का शासन और भी खराब हो जायगा। इसलिए जो शासन करने वाले कर्मचारी हैं, जो आफिसर हैं, उनको इमदाद देनी चाहिये। शासन ने 60 एम पीज़ की एडवाइजरी कमेटी बनाई है और वे लोग अपना बेशकीमती राय वहां के शासन के सुधारने के विषय में दे सकते हैं। इस तरह की मदद देने की हमारी कोशिश होनी चाहिये।

वहां पर जो इस समय गवर्नर हैं, वे ऐक देशभक्त गवर्नर हैं और उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल मदद नहीं दी। वे बड़े निष्पक्ष आदमी हैं। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो एक्स एम० एल० एज० हैं वे सब शासन को मदद दें और इस बात की कोशिश करें कि वहां पर चुनाव जल्द से जल्द शान्तिपूर्वक हो जाय। जब वहा पर चुनाव हो जायेंगे तो जनता को अच्छी तरह से पता चल जायगा कि वहां पर कौन दल शासन कर सकता है। अब वहां की जनता महसूस करने लग गई है कि वहां पर भविष्य में कांग्रेस का ही शासन होने वाला है। जो पढ़ेलिखे इंटैलैक्चुअल लोग हैं वे भी समझने लगे हैं कि फरवरी में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस ही सफल होने वाली है। वहां पर अकाल पड़ रहा है और दूसरी बातें हो रही हैं, इस तरह की बात करने से अब काम चलने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ में केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो इतने कल कारखाने हैं, जो केन्द्रीय सरकार को इतनी आमदनी कर के रूप में दे रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए वहां की जनता की मदद के लिए वह ज्यादा से ज्यादा रुपया दे ताकि वहां खेती के लिए ट्यूबवैल्स और पम्पींग सेट लगाये जा सकें। अगर आप इस तरह की सहायता देंगे तो बिहार का किसान बतला देगा कि वह किस तरह से ज्यादा पैदावार कर सकता है और सारे हिन्दुस्तान को खिला सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। जय हिन्द।

SHRI LOKANATH MISRA [Orissa]: Mr. Vice-Chairman, Sir, the Budget of Bihar is Rs. 436 crores odd. It is so huge compared to my State that I cannot conceive of an expenditure in a State to the tune of Rs. 436 crores. But equally the State is much, bigger than mine, and I hope trie money that will be placed in the hands of Mr. Pha-dia and his Ministry will be we'l spent. If I would have had the opportunity t.f going into more details of the Budget, I could have been a little more thorough. In the last moment I decided that I should participate at least to ventilate some of my political feelings regarding the state of things in Bihpr.

Just now the previous speaker tried to give a sermon to the House regarding the division of States, regarding further division, further fragmentation of States. If anybody has been responsible for further fragmentation of States, it is not the people who, he wanted should listen to him, but his own party.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Especially your leader, Shri Rajago-palachari, mooted the plan that India should be divided.

SHRI LOKANATH MISRA : Unfortunately, Mr. Sheel Bhadra Yajee has a very short memory. It may be due to his age, it may be due to his education, I do not know what it is due to. Even when Shri Rajagopalachari saw the inevitability of the division of this country—he was a Congressman, primarily and solely a Congressman—it was the Congress that appreciated and adopted it.

SHRI SHEEL BHADRA JAYEE: Even after he became the Founder of the Swatantra Party.

SHRI LOKANATH MISRA: Even after he became the Founder of the Swatantra Party? I would be very thankful to Mr. Yajee, if he had the intelligence, to find out and indicate to me any step that is anti-national, which has been either suggested by Shri Raja-gopalachari, or has been adopted by the Swatantra Party.

That apart, now let us not go into it, because you take away my time. That is the difficulty; I am running short of time. Now the point I was trying to emphasise was that it was always the Congress that was to blame and the Congress, unfortunately h.^s a complex of trying to get out of all the sins that they indulge in, and is endeavouring to throw them on somebody else. From Bihar, as far as I can remember, there have been at least two permanent representatives in the Cabinet for the last twenty years. One is Mr. Jagjivan Ram who at times, I am told, aspires to become the Prime Minister of India.

AN HON. MEMBER: Why should he not?

SHRI LOKANATH MISRA: Since any Tom, Dick or Harry can now aspire to become the Prime Minister why should he not?

As I was saying, tha other is Mr. Satya Narayan Sinha, the most fashionable Minister in the Cabinet.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): Who?

SHRI LOKANATH MISRA: You must make out for yourself. Is it a puzzle to you?

SHRI M. P. BHARGAVA: In what way is he fashionable? Is he well dressed like you?

SHRI LOKANATH MISRA: He is well perfumed. I can smell him out from a distance. *(Interruptions)* Sir. if you are prepared to give some more time I will reply to all tne interruptions or else I will have to go on with my remarks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): Replies are not expected. You kindly go on.

SHRi LOKANATH MISRA: As I have been saying, there are two permanent representatives of Bihar in the highest positions in the Cabinet for the last twenty years and I thought that they would take into consideration the pitiable condition in which the Biharis live. I have had some occasion of going round the rural areas of Bihar. I think the hon. gentlemen who are occupying the highest positions representing Bihar owe a definite responsibility to the people of Bihar from whom they get their votes and occupy big bungalows covering an area of about three acres in Delhi and I hope they will have their eyes wide open to see that those people from whom they get votes do not have ever, huts to live in and because of this disparity, this imbalance, between the rich here, the representatives of the people of Bihar, and the poor people of Bihar, their voters, there has been a sense of frustration among the Biharis. Mr, Sheel Bhadra Yajee is in between: he hangs in between. He tries to hang on to one of the Ministers' legs; he cannot go back to the rural areas. At one time he used to claim himself to be a man of the masses.

AN HON. MEMBER: Forward Block.

SHRI LOKANATH MISRA: A Forward Blockist and I had respect for him then.

SHRI M. P. BHARGAVA: That is the grouse of the Orissa people against you also.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: The Swatantra Party is always backward. I am not backward.

(Interruptions)

SHRI LOKANATH MISRA: I have no time for interruptions. I can adequately reply to your points and make you sit down on your own but I don't have the time. It is time that is running against me.

SHRI M. N. KAUL (Nominated): Against everybody.

SHRl SHEEL BHADRA YAJEE: He was in our party; now he has become backward.

SHRI M. N. KAUL: Time and tide wait for no man.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : I hope Members will kindly cooperate; we are short of time.

SHRI LOKANATH MISRA : I wanted to point out to the House and to hon. Members that because of this imbalance, this disparity, there is a sense of frustration among the people of Bihar. Bihar is not really reflected in the photographs of Mr. Jagjivan Ram or of Mr. Satya Narayan Sinha. The actual Bihar lives in the rural areas and I think Mr. Sheel Bhadra Yajee should give some more time for Bihar itself rather than trying to become an all-India leader without a platform.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: I was your leader; don't you know that man were also in the Forward Block of which I was then *h2 leader?

SHRI LOKANATH MISRA : But you have always been without a platform. Kindly don't say irrelevant things.

Now, the Jharkand Party was the outcome of their own doings, because they had several grievances against the ruling party. The ruling party all these eighteen years was the Congress Party and the adivasis of the Chota Nagpur Plateau felt very much neglected; they felt that they did not have proper representation in the Govt, and that the non-advasis shared power and authority among themselves and also the booty during the Congress raj. So they felt frustrated and they chose a man from among themselves to lead them and that was how the claim for a separate State came about. The Jharkand Party was the creation of the Congress; it was the indirect creation of the Congress in Bihar and it was the direct creation of the Congress in Orissa and in the neighbouring States. The Congress wanted that there should be some sort of agitation on the pretext of which the Chief Ministers could lay claim to more powers and greater authority from the Congress High Command. Therefore, Sir, I would place clearly the entire blame for the backwardness of Bin&r, for the lack of education in Bihar, for the imbalance in Bihar and whatever has been rampant there, eommunalism, regionalism, casteism, on the Congress. It is all the creation of these Congress-wallahs. They lived *on* these things and at times they encouraged them just tc hand on to power.

After this, I would bring to your kind notice one or two items from the Budget itself. I tried to get some clarification from the Deputy Minister of Finance but I was not very much convinced by his explanation. I askei him about this thing; when I asked him I found it on one of the pages only but subsequently I found that it "s repeated in other pages also. It is an item called Charges on the High Commissioner. I presume that Bihar is not another State that has another Nijalingappa's son-in-law. I And it is there in so many places, under Public Health, under Medical Aid, etc. I do not know how he will explain this item occurring in so many places. He gave me to understand that it might be books that were purchased but this is a categorical ...

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore) : What is the amount involved?

SHRI LOKANATH MISRA : The amount may not be much; all the same the item is there and I object to the item itself. I hope the Deputy Minister will kindly explain the matter, because this item occurs in many places. And I would not like to leave something which I do not understand in the Budget which is passed in this House.

Then there is another thing. Demand No. 40, which provides for national emergency in 1962. I do not know what they mean by that; expenditure connected with the national emergency of 1962. that is the item and under that item there is an expenditure of seven lakhs odd. I do not know if they keep on officers who confine themselves to the Secretariat. As for the air raid precautions the description of v/hich has been given here I have never found anywhere anything regarding air raid precautions. The hon. Deputy Minister should explain about this Demand also.

The last point I wanted to make is this. During the last two years or go there have been certain allegations against the ex-Congrass Chief Minister and in the meanu.me there has been an allegation against the Raja of Ramgarh who can change colour thrice during three months.

SHRl K. C. PANDA (Orissa) : In twenty four hours.

SHRI LOKANATH MISRA: Yes, in twenty four hours. He seems to be more adept than even the chameleon . nging colours. Now. the point I want to emphasise is this and the Minister must reply to this particular, categorical question. I have information that the Raja of Rarrgarh owed the Government something like Rs. 56 lakhs; and as the Mining Minister and Forest Minister, bis brother wanted to write it off. Is there any truth in this particular report? I would like the Deputy Minister to make a categorical statement here that he has not taken advantage of his position as the Mining Minister. It related to royalties, royalties which he did not pay at all and he wanted to waive it. Has be been able to write it off during his tenure of office as Mining Minister?

The last point, to add to this, is that if there is already a demand by the Opposition Members in connection with some allegations against the Chief Minister, why does not the Congress here or the hon. Minister himself advise the ex-Chief Ministers to subject themselves to a commission of enquiry and come out with flying colours, if there is nothing wrong about them? We have set an example in Orissa. Our Party has set a brilliant example for the entire country. Why did they not take it up and if they have nothing against them, why do they not try to come out with flying colours, instead of dying in bits all the time politically?

Thank you.

श्री सूरज प्रसाद : उपसभापति महोदय, बिहार का जो यह बजट है उसमें हमको देखना यह है कि बिहार के सामने जो समस्याएं आज उपस्थित हैं उनके समाधान के लिये इस बजट में कहां तक प्रबन्ध किया गया है। बिहार की समस्याओं पर बोलते हुये जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि बिहार एक पिछड़ा हुआ हिन्दुस्तान का राज्य है। उस राज्य की दूसरी समस्या यह है कि 1966 में बिहार में भयंकर अकाल आया था और 1967 में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी जिस से किसानों की हालत बडी दयनीय हो गई थी और जिस से आज भी वे उभरे नही हैं। बिहार के दो लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिन के सामने महंगाई भत्ता की और दूसरी समस्याएं हैं। सब से बड़ी बात बिहार की यह है कि बिहार की जनता पर भारत सरकार का 509 करोड़ रु० कर्ज है जो इस साल बढ़ कर 595 करोड़ रुपया हो जायगा और जिस के सूद में और मूल में बिहार सरकार को अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। तो हमें यह देखना है कि ये जो समस्याएं बिहार के सामने हैं इन समस्याओं के हल के लिये क्या उपाय किया गया है। क्या बजट में किसानों की सहायता के लिये कोई एलान है। जवाब है "नही"। क्या बजट में बिहार जो ऋण ग्रस्त है उससे छुटकारा दिलाने का प्रबन्ध है। जवाब में है : नहीं। बिहार की जनता को आज विकास के लिये अधिक सहायता की

[श्री सूरज प्रसाद]

जरूरत है। क्या बजट में उसके लियें प्रबन्ध है। नहीं, बल्कि कटौती की गई है। तब यह बजट है क्या। तब यह बजट बिहार की जनता की तरक्की के लिये नहीं है। बिहार का यह बजट किसानों को सहायता प्रदान करने के लिये नहीं है। यह बजट सरकारी कर्मचारियों को भत्ता और दूसरी चीजें देने के लिये नहीं है। तब यह बजट है क्या ? यह देसाई जी का बजट कसाई का बजट है जिस में बिहार सरकार को जिबह करने का प्रबन्ध किया गया है।

मैं एक दो बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि इस बजट से आने वाले जो दिन हैं और जो बिहार की जनता के सामने समस्याएं हैं उन समस्याओं का कोई हल होने वाला नहीं है। इस बजट में यह कहा गया है कि गत सरकार ने यानी गैर कांग्रेसी सरकार ने जो बजट तैयार किया था उसको हमने नये सिरे से लिखने का प्रयास किया है। वह नया सिरा क्या है। नया सिरा यह है कि किसानों पर अधिक बोझ लाद दिया जाय। उस बजट में यह था कि हम बिहार के किसानों से इस साल 16 करोड़ या 18 करोड़ रुपया कर्ज का वसूल करेंगे किसानों पर लगभग 47 करोड़ रुपया कर्ज है। इस बजट में यह लक्ष्य किया गया है कि 22 करोड़ रुपया हम वसूल करेंगे और अगर प्रशासनिक व्यवस्था अधिक की गयी अगर प्रशासन सक्षम हुआ तो यह 22 करोड़ का लक्ष्य और भी ऊंचा हो सकता है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि 1966 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था और उस से जनता उबरी भी नहीं थी कि 1967 में भयंकर बाढ आ गयी जिस की वजह से किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गयी और वह अभी इस हालत में नहीं है कि वह इतनी बड़ी रकम को सरकार को दे सके। इस साल सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर जो भदई फसल होती है जो एक मशहूर फसल है वह भारी मारी है टु दि एक्सटेंट आफ 50 परसेंट ऐसी हालत में भी अगर उन से कर्ज वसूल किया गया तो फिर क्या नतीजा होगा। सरकार की संगीनधारी पुलिस के लोग जायंगे, कुर्की, जब्ती करेंगे, बैल कुर्क करेंगे, उन को घर का चौखट-किवाड़ी कुर्क करेंगे और उस से किसान परेशान होंगे। जब किसानों के पास कुछ है ही नहीं तो वे कहां से देंगे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर जो किसानों को लूटने का संदेश है वह बहुत ही गैर वाजिब है, किसान विरोधी है, किसानों को परेशान करने वाला है और बिहार की शान्ति को खत्म करने वाला है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर वहां पुलिस जायगी और लोगों के बैल, भैंस खोलने की कोशिश करेगी तो उस का जम कर मुकाबला होगा। जिस गांव के अंदर बैल जप्त किया जायगा लोगों के घर से चौखट किवाडी निकाली जायगी वहां प्रतिरोध के सिवाय उन के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसलिये मैं साफ शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि ये कर्ज की जो वसूली है, ये जो कर्ज के वसूल करने का प्रयास है उस में अगर ऐसा हो कि 1000 से ऊपर जिन पर कर्ज है उन से वसूल किया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन गरीबों से अगर कर्ज वसूल करने का प्रयास किया गया तो मैं कहना चाहूंगा कि उस का जम कर विरोध करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा।

मैं दूसरी बात इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि गैर-कांग्रेसी सरकार ने यह कहा था कि हम अलाभकर जोतों पर से लगान साफ देंगे और जो ऊपर के किसान हैं उन से विकसित लैंड टैक्स लेंगे। आज दिल्ली की सरकार बिहार पर राज्य करती है। अच्छा यह होता कि वह कानून यहां पेश कर दिया जाता। गवर्नर

साहब ने वहां भाषण करते हुए कहा था कि जो पालिसी नियत की गयी है गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा उस पालिसी को हम लागू करेंगे। इस लिये जो अलाभकर जोतें हैं उन पर लगान माफ कर दिया जाय। यह कोई कम्युनिस्ट का एलान नहीं है, यह कोई सोशलिस्ट का एलान नहीं है, यह कांग्रेस का एलान है जो फैजपुर कांग्रेस और कराची के अधिवेशन में किया गया था। पंजाब की सरकार ने तो इस को मान भी लिया है और शायद मध्य प्रदेश की हुकूमत ने और आन्ध्र प्रदेश की हुकूमत ने इस को मान लिया है। इस लिये बिहार की हुकूमत को इसे मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस में कोई हर्ज नहीं है जब इतनी आमदनी उन लोगों से हो सकती है जिन के पास विशेष जमीनें हैं और जो बड़े बड़े जमीनदार हैं। इस लिये अगर ऐसा कदम उठाया नहीं गया तो इस का अर्थ यही होगा कि छोटे छोटे किसानों को सहायता देने की जो बात है वह टाल दी गयी है।

एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछड़ा हुआ राज्य होने के नाते उस को अधिक से अधिक रकम मिलनी चाहिये। लेकिन आप देखिये कि उस को कितनी रकम मिली है। जनसंख्या के आधार पर 952 करोड़ रुपया सब राज्यों को दिया गया है उसमें बिहार का हिस्सा कितना है? जनसंख्या के आधार पर इस साल 95 करोड़ रुपया योजना आयोग ने निश्चित किया, किन्तु उसको मिला 71 करोड़ रुपया। वास्तव में वह है 65 करोड़ रुपया और उस को देसाई जी ने 70 करोड़ इस तरह से कर दिया कि 5 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड जमा करेगा और वह 5 करोड़ रुपया मिल कर 70 करोड़ हो गया। क्या तमाशा है फिगर का। यह फिगर की जगलरी कर के बिहार की जनता को धोका नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि योजना आयोग की जो सिफारिश है, बिहार का जो हिस्सा है 95 करोड़ रुपए का वह उसको मिलना चाहिए। वह मिले तो बिहार की सही माने में हम तरक्की कर सकते हैं, बिहार का जो पिछड़ापन है, जो बेकारी है, सरकारी कर्मचारी जो छांट दिए गए हैं, और जो दूसरी समस्याएं हैं उनके हल की तरफ बिहार कुछ माने में आगे बढ़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में चिन्ता व्यक्त की गई है कि बिहार की हालत कुछ दिनों से खराब है। कौन उसके लिए जिम्मेदार है? गैर-कांग्रेसी सरकार? केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 44 अरब 40 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। उसमें बिहार का कितना हिस्सा होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर—443 करोड़ रुपए लेकिन दिया गया 395 करोड़ रुपया। तो फिर बिहार की तरक्की कैसे होगी? बिहार की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी तो क्या होगा? बिहार की तरक्की के लिए जो साधन चाहिए वह नहीं दिए गए तो फिर आप बिहार की तरक्की की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वक्यूम में तो उसकी तरक्की होगी नहीं। क्या शून्यता में बिहार की तरक्की हो सकती है? उसके लिए साधन चाहिए। मैं देखता हूं कि बिहार के प्रति उपेक्षा की नीति बरती जा रही है, गैर-कांग्रेसी सरकार के समय में बरती गई और आज भी बरतने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी तरह में दूसरी बातें बताने की कोशिश करूंगा। कहा गया कि आमदनी बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। बिहार की तरक्की के लिए साधन की जरूरत है। हम लोगों के देहात में कहावत है "सहज की दवाई गोधपूर्णा" कोई तकलीफ हो गोधपूर्णा घास उखाड़ कर इस्तेमाल कर लो। इनको क्या है, इनको

[श्री सूरज प्रसाद]

मास तो नहीं दिखाई पड़ता, दिखाई पड़ती हैं, सूखी हड्डियां, उनका जितना ही खून बचा है उसको खींच लेना चाहिए। माइनिंग से आमदनी बढ़ सकती है। अगर रायल्टी बढ़ा दी जाय तो हमारा अनुमान है कि इससे बिहार की आमदनी 10 करोड़ से 16 करोड़ हो सकती है। इस मद में आमदनी इस साल 5 करोड़ से बढ़ा कर 8 करोड़ दिखाई गई है लेकिन है क्या, असली बढ़ती 50 लाख रुपया ही है 2 करोड़ की जो बढ़ती है वह बाकी की रायल्टी की वसूली से होगा। बिहार में जब जब गैर-कांग्रेसी हुकूमत थी, उसने इस सरकार से मांग की थी कि वह इसे बढ़ा दे लेकिन वह नहीं बढ़ा सकी क्योंकि राज्य की सरकार रायल्टी नहीं बढ़ा सकती है। यह काम हो सकता है दिल्ली की हुकूमत से। आज दिल्ली की हुकूमत बिहार पर शासन करती है। बिहार की हुकूमत का विचार था कि रायल्टी बढ़ाई, लेकिन ये रायल्टी नहीं बढ़ायेंगे क्योंकि उससे बड़े बड़े मालिकों पर असर पड़ना है। अगर बिहार की सही माने में तरक्की चाहते हैं तो रायल्टी बढ़ा दें। जैसा मैंने शुरु में कहा, बिहार पर 5 अरब 9 करोड़ रुपया का कर्ज है और इस साल बढ़ कर वह 6 अरब के बराबर हो जायगा और बिहार को कितना रुपया सूद और मूल का देना पड़ेगा। सूद देना पड़ेगा 30 करोड़ रुपए इस दिल्ली की सरकार और 37 करोड़ रुपया देना पड़ेगा मूल के रूप में। बिहार की टोटल आमदनी है एक अरब 60 करोड़ रुपए, उसमें 67 करोड़ रुपए सूद और मूल में देना पड़ेगा। यह रुपया किसलिए मिला था? यह रुपया कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मिला था सड़क विकास के लिए। प्रश्न यह है कि इतना जो कर्ज का बोझा बिहार पर है, अनुत्पादक कर्ज जिससे कुछ पैदा नहीं होता है, क्या बिहार उसको दे पाएगा। अगर बिहार की तरक्की करनी है तो हमारी मांग यह है कि आप बिहार के ऊपर जो अनुत्पादक कर्ज है उसको माफ कर दीजिए। प्रश्न यह है कि क्या कर्जा बिहार दे सकता है। जो सूद है उसको माफ कीजिए या स्थगित कीजिए जब तक कि बिहार की हालत सुधरेगी। जब हालत सुधर जाय तब देखा जा सकता है। तभी बिहार की आमदनी बढ़ सकती है, तब हम बिहार की तरक्की कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान के संविधान में 269 धारा है जिसके मुताबिक राज्य सरकार को कुछ टैक्स लगाने का अधिकार है और वह टैक्स मिलेगा राज्य सरकार को लेकिन अजीब बात है कि इस दिल्ली की हुकूमत ने इस टैक्स को नहीं लगाया क्योंकि वह राज्यों को मिल जायगा। क्या तर्क है? फिर आप उम्मीद करते हैं राज्यों से कि वे तरक्की करें? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह टैक्स लगाएं और लगाकर राज्यों को दीजिए, बिहार को भी उसमें हिस्सा मिलेगा और बिहार तरक्की करेगा।

आखिरी बात यह है कि अलाभकर जोत पर से लगान माफ कर दीजिये, रायल्टी बढ़ा दीजिये और इस तरह से दूसरे जो साधन हो सकते हैं उनको बढाएं, कर्ज माफ कीजिए, सूद माफ कीजिए, तब बिहार के पास काफी साधन हो जायंगे जिससे बिहार तरक्की कर सकता है, फिर हमारा जो लक्ष्य है 95 करोड़ रुपए की योजना का वह योजना हम पूरी कर सकते हैं, बिहार के किसानों को सहायता दे सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो भत्ता के लिए तड़प रहे हैं उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं, बिहार में हम नए उद्योग खड़े कर सकते हैं, जो बेकारी है उसको हल कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी जो छांटे गए हैं उनको काम पर रख सकते हैं। यह रास्ता होगा लेकिन जो बिहार का बजट है उससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के बजट पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जायें।

SHRI MULKA GOVINDA REDDY : Mr. Vice-Chairman, today we are dis. cussing the Bihar Budget because of the President's rule in Bihar. After the 1967 elections when the Congress lost its power in eight or nine States, non-Congress coalition Governments came into being. The Congress High Command was aot happy with this situation. Either they should rule or through the instrumentality of the Governors Congress should rule indirectly, and with that end in view they have tried to strangulate the coalition Governments; by offer of Ministerships they have encouraged defectors to form minority Governments. A little while ago we discussed Punjab as to how they tried their best to see that the non-Congress Government was defeated and the minority Government, the Gill Ministry, was installed. Similarly in Bihar, the Mandal Government, was installed. The Congress did not participate in the Government but all the defectois from the S.D.V. were made Ministers in the Mandal Ministry, and peculiarly Mr. Mandal was nominated to the Legislative Council; in litter disregard and in violation of the constitutional provisions Mr. Mandal was nominated to the Legislative Council. Similar things are happening in different States. Whenever Congress wants, they make use of the Governor to nominate their own henchmen to the Legislative Council irrespective of constitutional obligations, and a serious blow is being dealt to the democratic functioning of the Bihar Government. Later on when this Mandal Government was overthrown, the Paswan Government was installed in power. And again, because of the machinations of the Congress High Command here, the Rajah of Ramgarh was won over and the Governor had no other alternative but to recommend President's rule in Bihar.

Mr. Vice-Chairman, Sir, you must seriously reflect over the events that are happening in this country for the last one and a half years. On the one hand, the Congress is trying to form a Committee to prevent defections. On the other hand, they have been encouraging defectors, they are lending their support to the Ministries formed by these defectors. Today we are discussing this Budget because there is no elected Assembly in Bihar and I do not want that Parliament should again discuss this Budget for the next year. I do want that elections to the Bihar Assembly should be held as early as possible. I am quite confident that the elections will be fair :md free because there is no Congress Government in Bihar. Now that the President's rule is there, I hope and trust that the Governor will see to it that there is no interference by the officers in free and fair elections that will be held to the Bihar Assembly, and they should be held as early as possible.

As Mr. Lokanath Misra rightly put it, we should have had more time to discuss this Bihar Budget. But unfortunately, the planning by the Ministry of Parliamentary Affairs or by the Government is not proper. When the Assembly is not in session, when of Parliament is charged with the passing of the Bihar Budget, we should have had more time to discuss this Budget in all its details. But now they want to hustle through. I would ask the Ministry of Finance: President's rule was there in Bihar for the last two or three months. We have been sitting here for the last five weeks. Why did they not think of presenting the Bihar Budget before this Parliament earlier and get its approval? And greater opportunity would have been given to Parliament to discuss the Bihar Budget in greater detail. But they would like to rush and hustle through all these important subjec's during the last week of the session.

Bihar on the one hand is faced with floods. On the other hand, particularly last year, there was famine and pestilence in Bihar. It must be said to the credit of the first non-Congress Government headed by Shri Mahamaya Prasad Sinha that they tackled this problem of famine in a very fair manner and resolutely they solved this

[Shri Mulka Govinda Reddy] problem. It is true that Shri Jai-prakash Narain and others did their best to provide relief to the famine-stricken people of Bihar. For the last 20 years Bihar was under the Congress rule. But they had not made any proper plans to see that poverty is banished from this land of Bihar, that illiteracy is banished from there. Jt looks as though Bihar and UP, the two greater or larger States of India, are vying with each other with regard to illiteracy; these are the parts from where the rulers of India are hailing. It is unfortunate that the problems of Bihar have not been tackled properly and a solution has not been found.

As soon as the non-Congress Government came into being one thing should be said to the credit of that Government, that they appointed a Commission of Inquiry to go into the charges of corruption against the former Ministers. Whenever any charges of corruption or nepotism were made against persons in office, against Ministers or the Chief Minister, it should be the bounden duty of any Government worth the name to appoint a Commission cf Inquiry to go into those charges. Orissa did it. Bihar did it. Now a demand has been put forward that a Commission of Inquiry should be set up to go into the charges of corruption made gainst the Gill Ministry. Similar charges of corruption and nepotism have been levelled against the former Chief Minister of Mysore and his ^clleagues. A Commission of Inquiry should go into those charges whether it is a Congress Ministry or a non-Congress Ministry. The Chief Minister of Orissa, as Mr. Loka-nath Misra just now pointed out, was prepared for any scrutiny, he was prepared to get himself subjected ^to enquiry by a Commission if there were any charges made against him.

I am sure the Congress will never get a majority in most of the States in 1972. If the PSP or any other party or a combination of parties comes in-,to Government in any State, they should be prepared to get themselves subjected to a Commission of Inquiry if there are charges of corruption made against them.

Now, there is no popular Government in Bihar. So, it is the duty of the Centre to see that the grievances of the people of Bihar are attended to. The Government employees there have been asking for Central Government scales of deamess allowance. Some States have already agreed to implement Central Government scales of dearness allowance for their employees. This is a demand coming from almost all the State Government employees. So, it is necessary, now that Parliament is in charge of Bihar affairs, that the Government of India should tome forward and see that Central Government dearness allowance is given to the Bihar NGOs and other employees.

In respect of the NGOs who participated in some strike, I understand that some victimisation is going on. That should be ended and those who have been retrenched from service should be taken back.

(Time bell rings.)

SHRI KRISHAN KANT: Give him some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl D THENGARI) : We are running short of time.

SHRI KRISHAN KANT : He is the leader of a party.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY : In Ranchi there was some trouble last year. A Commission of Inquiry should be appointed to go into this question. Some of the MPs who visited that area have collected some evidence and they have demanded that a Commission of Inquiry should be appointed to go into the question there, into the communal riots that took place there. Now that Bihar is under their control, I request the Central Government that a Commission of Inquiry should be set up to go into this question.

I am afraid the Bihar Budget does not indicate any progressive measure with regard to land reforms, with regard to the ceiling of *incomes* and with regard to the other facilities that they are asking for the development

of that unfortunate S[f]ate of Bihar.

I plead that the elections should be held at the earliest so that a popularly elected Government can come into being.

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र : सभापति महोदय, बिहार के बजट पर बहस के समय जो दो एक बातें लोकनाथ मिश्र जी और श्री मुल्का गोविंद रेड्डी ने उठाई है उनका मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। क्या लोकनाथ मिश्र जी इस बात को नहीं जानते कि यह झाडखंड या आदिवासी लोगों की जो मांग है अलग होने की वह कैसे शुरू हुई। यह कहना कि सभी कुछ कांग्रेस ने कराया। सरासर गलत बात है। बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार के बगल में उड़ीसा से लोकनाथ मिश्रजी आते हैं और यह बाते नही जानते है पहले बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे, एक रोज उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। वह भी क्या कांग्रेस ने किया था ? उसी तरीके से यह बात सभी को मालूम है कि अंग्रेजी राज के समय में आदिवासियों को भड़काया गया था और उसी समय से वे अलग रहने का नारा लगा रहे हैं । इसके साथ ही साथ मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्रिस्तान मिशनरीज हैं व इस भाग में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे और इन लोगोंने क्रिस्तान वोटरों की लाइन लगाकर आदिवासी उम्मीदवार को वोट दिलाया था। पहले आदिवासी अपनी पार्टी की उन्नति समाज के नाम से पुकारा करते थे, बाद में आदिवासी सभा के नाम से और फिर आदिवासी महासभा के नाम से और आखिर में ये लोग कांग्रेस में आये। 1946 में जब बिहार में कौंसिल के चुनाव हुए तो श्री जयपाल सिंह आदिवासी सभा की ओर से हमारे पिताजी के खिलाफ खड़े हुए। उस समय भी उनका नारा था कि छोटा नागपुर को अलग किया जाय। हमारे पिताजी उस समय जीत गये थे श्री जयपाल सिंह जी हार गये थ। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस के राज्य में इन लोगों को तकलीफ दी गई और इसी वजह से वे अलग होना चाहते है बिल्कुल गलत बात है। मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूं कि अंग्रजों के राज में इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया गया था और न ही हिन्दुस्तानियों के राज में इनके साथ इंसाफ किया गया। इसका कारण यह है कि वे लोग ज्यादा आवाज नहीं कर सकते हैं और न ही ज्यादा बोल सकते हैं।

छोटा नागपुर में केवल आदिवासी लोग बसते हैं, यह बात नहीं है। वहां गैर-आदिवासी लोग भी बसते हैं। सच बात तो यह है कि आदिवासीयों के उस इलाके में ज्यादा आदमी गैर-आदिवासी है। लेकिन छोटा नागपुर का इलाका जो बिहार राज्य में पड़ता है जिसमें आदिवासी लोग रहते है उस इलाके की उन्नति के लिए बजट में बहुत कम रुपया रखा जाता है।

अगर आप इस बजट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस क्षेत्र के लिये बजट में खर्च तो कम रखा गया मगर वहां से आमदनी बहुत ज्यादा होती है। छोटा नागपुर में कोयले की खानें हैं जिसमें से सरकार को रायल्टी के रूप में बहुत ज्यादा आमदनी होती है। यही कारण है कि आदिवासियों की भलाई के लिए बजट में ज्यादा रुपया नहीं रखा जाता और वे बीच बीच में आवाज उठाते हैं कि हम को अलग किया जाय। यह बात भी सत्य है कि जो आदिवासी लोग हैं वे पढ़ेलिखे कम है और इसकी वजह से उन्हें क्या छोटी छोटी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हैवी इंजीनियरींग कारपोरेशन का जो कारखाना रांची में है वहां पर चपरासी के काम के लिए उस क्षेत्र के लोगों की बहाली नहीं होती थी और जो गेट पर पहरा देता है वह भी बाहर का आदमी रखा गया है। इसलिए वहां पर जो आदिवासी और गैर-आदिवासी हैं वे बहुत

[श्री प्रतुल चन्द्र मित्र]

नाराज हैं । यह बात सही है कि जब से श्री मालविया जी वहां पर चेयरमैन होकर गये है तब से वहां के आदिवासी खुश हैं क्योंकि उनके साथ अब इंसाफ किया जा रहा है और आदिवासियों का ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में बहाली भी जा रही है। यह बात भी ठीक है कि अभी नौकरी में ज्यादा बहाली नहीं हो रही है लेकिन मालवीय जी ने उन लोगों को नौकरी में रखने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने वह हुक्म दे दिया है कि पहले इन लोगों को लिया जाय और अगर वे इस लायक नहीं निकले तब दूसरों को लिया जाय। इसलिए मैं मिश्रा जी से कहना चाहता हूं कि ये लोग कांग्रेस की वजह से नाराज होकर अलग होना चाहते हैं यह निराधार है।

दूसरी बात जो जोरों से यहां पर कही गई कि राजा रामगढ़ के खिलाफ़ इन्क्वायरी होनी चाहिये लेकिन उनके साथी मिनिस्टरों के विरुद्ध भी इन्क्वायरी के बारे में क्यों मांग नही हो रही है? जब महामाया प्रसाद की मिनिस्ट्री आई थी तो उन्होंने कांग्रेस मिनिस्टरों विरुद्ध इन्क्वायरी करने का हुक्म दिया था और उसके लिए एक जज नियुक्त किया गया जिसकी इक्वायरी जारी है।

SHRI MULKA GOVINDA REDDY : Mr. Vice-Chairman, we are agreeable to subject our Ministers to any kind of enquiry. We are prepared for it.

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र : यह इन्क्वायरी होने पर आप यह देखेंगे कि महामाया प्रसाद के बाद जो मिनिस्ट्री आई उसमें जो मंत्री थे उन्होंने 10 महीने के अन्दर कितना रुपया, लाखों रुपया कैसे कमाया था।

एन आनरेबल मेम्बर : सब की जांच होने दीजिये।

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र : जब महामाया प्रसाद सिंह की मिनिस्ट्री का अंत हुआ और शोषित दल कि सरकार आई तो उसने महामाया प्रसाद की मिनिस्ट्री के मंत्रियोंके खिलाफ जिसमें जनसंघके अलावा संविद में शामिल सब पार्टियों के मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ इन्क्वायरी करने का हुक्म दे दिया। जिस जज को भूतपूर्व कांग्रेसी मिनिस्टरों की इन्क्वायरी करने के लिए कहा गया था उन्हीं को इनके बारे में भी जांच करने के लिए कहा गया। अब ये लोग कहते हैं कि उस जज की जो नियुक्ति की गई थी वह बगैर उनकी राय लिये की गई थी और इस लिये यह इन्क्वायरी नहीं होनी चाहिये। इसलिए मैं आपके जरिये अर्थ मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब बिहार में राष्ट्रपति का शासन है इसलिए केन्द्रीय सरकार को गवर्नर से यह आग्रह करना चाहिये कि वे उन्हीं जज से इन्क्वायरी करवाने के लिए कहें और इस संबंध में अपना आदेश दें।

दूसरी बात मैं महंगाई भत्ते के संबंध में कहना चाहता हूं। बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों ने पिछले दिनों हड़ताल की थी ताकि उनको भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाय। मैं यह बात इसी सदन में पहले भी कह चुका हूं कि वहां के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। मेरा तो निवेदन यह है कि आपको समूचे प्रदेश के कर्मचारियों को बराबर महंगाई भत्ता देना चाहिये। आपको यह नहीं कहना चाहिये कि वह विषय प्रान्तों का विषय है। महंगाई का जहां तक संबंध है वह केन्द्रीय जिम्मेदारी है और इसलिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुला कर केन्द्रीय सरकार को इसका इंतजाम करना होगा और सब से सलाह करके एक ही महंगाई भत्ता सब को दिया जाना चाहिये। इसमें दो मत नहीं हो सकते है। आज नहीं, कल आपको यह भत्ता देना पड़ेगा और जितनी जल्दी आप यह बात मान लें, उतना अच्छा है।

जब मैं बजट को देखता हूं तो मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि संविद सरकार ने प्रायमरी शिक्षकों के बारे में बजट में कोई प्रबन्ध नहीं किया था जब कि संविद सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी तनख्वाह और भत्ता बढ़ाये जायेंगे। पुरानी सरकार ने बजट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन यह देखकर खुशी होती है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने 3 करोड़ 20 लाख रुपये का इसमें उन लोगों के लिए प्रबन्ध किया है।

एक और चीज की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार में इस बात की जोरदार मांग है कि वहां पर जो बिजली की दर है वह बहुत ज्यादा है जिससे उद्योग, सिंचाई और दूसरे काम ठीक तरह से नहीं हो रहे लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि जब वहां पर संविद की सरकार थी तो उसने वहां पर प्राइवेट बिजली कम्पनी को अधिकार दिया कि वह हर ग्राहक पर एक फिक्सड चार्ज लगा सके चाहे वह प्राइवेट आदमी हो या कोई कारखाने वाला हो। यह फिक्सड चार्ज बिजली के यूनिट हिसाब से दर के अलावा उसने 8 रु० पर हार्स पावर के हिसाब से दर लगा दी है। रांची बिजली कंपनी ने उद्योगों के लिए यह निश्चय किया है कि उद्योगों को विदाउट प्रजुडिस टु मिनिमम गारण्टी, 27 पैसा पर यूनिट दर से ज्यादा नहीं देनी चाहिये। इसके अलावा 27 पैसा पर यूनिट के हिसाब से बिजली की दर फिक्स कर दी। जिस किसी उद्योग को बिजली लगानी होती है उसको प्रति हार्सपावर के ऊपर कम से कम 478 यूनिट का पहला खर्चा देना ही होता है अगर उससे कम खर्चा हुआ भी हो और उसके बाद जो ज्यादा बिजली खर्च होगी उस पर ज्यादा से ज्यादा 27 पैसा पर यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जाता है। इस तरह से बिजली की कीमत देकर आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उद्योग की उन्नति हो सकती है। और उस के बाद 8 रुपया कर के उस को और देना पड़ेगा। इसलिये इस बारे में मैं सरकार से यह कहूंगा कि बिजली की दर के बारे में जो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में फर्क है उसकी जांच हो। बजट में भी दिया हुआ है कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने से 5 करोड़ रुपये की ज्यादा आमदनी करेगा। मेरा खयाल है कि इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिये और छोटा नागपुर में जहां बिजली की कमी नहीं है लेकिन कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है उसे ठीक करने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

6 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): Mr. Venkataraman.

SHRI KRISHAN KANT: Sir, it is 6 o'clock now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : I would appeal to the honourable Members lhat we have fixed Ave hours for the Gold (Control) Bill and we would like to take up the Gold (Control) Bill tomorrow in right earnest after the question hour. Let us finish with this now. It takes hardly 15 to 20 minutes.

SHRI KRISHAN KANT: No, no, Sir.

SHRI B. £>. KHOBARAGADE (Maharashtra) : No, no, Sir. In the afternoon when I wanted to speak for just five minutes, they said that they were not sitting after 6 o'clock and I was not given time to speak. When we were given to understand that the House would not sit beyond 6 o'clock, why should we sit after 6 o'clock?

SHRI M. P. BHARGAVA : The Chair has already called Mr. Venkataraman. Let him speak.

SHRI B. D. KH03ARAGADE: No. no. It was decided in the afternoon that we would not sit after 6 o'clock. At that time I wanted to have a chance to speak for five minutes but I was not given any time.

THE VICE-CHAIRMAN (SURI D. THENGARI) : I quite appreciate the anxiety of the Members that we should adjourn. The only point is this. Now it is better that we finish this very small volume of work. I think that would facilitate our work. I want to know the sense of the House.

SOME HONOURABLE MEMBERS : No. no. We should adjourn.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: Sir, we have no objection to sit.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) : I would appeal, when the Chair has said something, let us respect it.

(Interruptions.)

SHRI M. R. VENKATARAMAN (Madras) : After the aucstion hour tomorrow, if half an hour is strictly fixed, then those of us who are remaining can speak.

SHRI KRISHAN KANT : Yes, yes. Please adjourn the House.

(Interruptions.)

شری شیر خاں (میسور) : آپ ایک آرڈر پاس کیجئے اور اس کو چلایئے یہ کیا طریقہ ہے -

†[श्री शेरखां (मैसूर) : आप एक आर्डर पास कीजिए और उसको चलाइए। यह क्या तरीका है ?]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : No, no, that is not the way.

SHRI KRISHAN KANT: We have already taken half an hour more than the fixed time.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति जी, कल रिसेस न हो और उस में इसे खत्म कर लिया जाय तो क्या हर्ज है ?

SOME HONOURABLE MEMBERS: We will adjourn.

SHRI KRISHAN KANT: Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : I am on my feet, Mr. Krishan Kant. Just one minute. I want to know the sense of the House.

SEVERAL HONOURABLE MEMBERS : Tomorrow, tomorrow. We have sat far half-an hour more.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: We can fix it for tomorrow. No, no, not today.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: We are prepared to lit for another 15 to 20 minutes and let us finish ...

SHRI KRISHAN KANT: Tomorrow, Sir. Not today, not today, Sir.

(Interruptions)

SHRI AKBAR ALI KHAN : Let Mr. Venkataraman speak for five to ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Then shall we sit through lunch hour tomorrow?

SOME HON. MEMBERS : No, no ...

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : We have taken the sense of the House. The House stands adjourned till 11 A.M. on Wednesday.

The House theii adjourn at six minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 28th August, 1968.

GIPN—32 R. S./68—SVIII—14-3-69—7570.